53511

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

राज्य नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0 'SUDA'

पत्रांक : 4290 /05/76/एक/2015–16 दिनांक : 16 फरवरी 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद–रामपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 2015–16 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 में आपके जनपद को शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु (अनुदान संख्या–37/83) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि अवमुक्त कर दी गई है:–

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
पंजाब नेशनल बैंक	0932000105034436	IFSC Code PUNB0093200	113.205

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक/मलिन	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	प्रथम किश्त की धनराशि का प्रेषण
1	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 18 मो0 चाहा जट्टा मे अजीम के मकान से नबी जानल के मकान से होते हुए बब्बू के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3.795
2	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 18 मो0 चाहा जट्टा मे इन्तेजार की दुकान से असलम मुन्नू फिदा, मस्जिद बगिया वाली से होते हुए बच्चन भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	7.890
3	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 18 मो0 चाहा जट्टा मे रसीद भाई ड्राईवर के मकान से हनीफ भाई के मकान से होते हुए जीमल भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3.300
4	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 18 मो0 चाहा जट्टा मे लाल भाई के मकान से नवाब भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	0.910
5	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 18 मो0 फराराखाना में जगन्नाथ के मकान से श्री हरीशरण कमल अरोरा, शनी भाटिया के मकान से होते हुए देशराज गुलाटी के मकान तक व पी0डब्ल्यू0डी0 कालोनी में इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	11.080
6	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 22 मो0 डुगरपुर में पुलिस लाइन रोड बन्ने भाई के मकान से डोरे लाल भूप सिंह, मदन हीरा लाल, लेखराज के मकान से होते हुए 33/11 सब स्टेशन तक इण्टरलाकिंग रोड कार्य।	9.320
7	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 22 मो0 डुगरपुर में 33/11 सब स्टेशन से महेन्द्र के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.175
8	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 22 मो0 डुगरपुर में पुलिस लाईन रोड मतलूब खां के मकान से मदन लाल के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	4.770
9	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 22 मो0 डुगरपुर मे पुलिस लाइन रोड राम औतार के मकान सुक्खी राम, चन्द्रपाल, हेमराज बेला के मकान से होते हुए पाती राम के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.125

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

535/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	अल्पसंख्यक / मलिन	निकाय का नाम	बस्ती / वार्ड का नाम	प्रथम किस्त की धनराशि का प्रेषण
10	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 33 मो0 बंजरिया फतेह अली खां में अजीजुद्दीन के होटल से असलम भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	9.615
11	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 33 मो0 मंगल की पैठ में हाजी आकिल के मकान से परवेज भाई के मकान तक एवं शरीफ भाई के मकान से छुट्टन भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	3.815
12	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 33 मो0 बंजरिया फतेह अली खां में शुशुद्दीन के मकान से मुख्तियार भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	0.765
13	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 33 मो0 अस्तबल कैम्प में ललित कुमार के मकान से विजय सन्तराम दरसन सिंह के मकान होते हुए लक्ष्मण दास के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	8.425
14	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 33 मो0 अस्तबल कैम्प मे लोला भाई के मकान से प्रेम भाई के मकान होते हुए थाना गंज रोड तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	6.700
15	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 34 मो0 खारी कुआ में जयराज जूनियर हाईस्कूल से ओम साई साइबर कैफे तक इण्टरलाकिंग रोड कार्य।	4.655
16	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 34 मो0 खारी कुआर में सुदर्शन लाल के मकान से महक लोकवाणी केन्द्र एवं कोतवाली रोड तक इण्टरलाकिंग रोड कार्य।	4.960
17	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 36 मो0 बजोड़ी टोला में बिलासपुर गेट रोड मियां ख्वाजा अहमद साहब मस्जिद से पुत्तन खां के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	5.860
18	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 36 मो0 बजोडी टोला में रफीक खां के मकान से कच्ची मस्जिद तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	7.705
19	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 38 मो0 सराय जहांगीर में गोरे खां के मकान से बब्बू के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	0.550
20	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 38 मो0 सराय जहांगीर मिया के बाग में नवाब की टाल से यासीन भाई के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	5.380
21	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 38 मो0 घेर कलन्दर खां में शब्बीर भाई पत्ती वाले के मकान से मुम्तियाज के घर होते हुए साजिद के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	1.030
22	रामपुर	अल्पसंख्यक–37 बजट	न0पा0प0 रामपुर	वार्ड नं0 38 मो0 घेर कलन्दर खां में बिलासपुर रोड अशोक के मकान से असलम के मकान होते हुए राजू के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली निर्माण कार्य।	0.380
	योग				**113.205**

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशो के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0 / परियोजना के अनुसार कार्य कराया जाये। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

5353

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015–16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तों/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य क्रमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– प्रश्नगत परियोजना में भुगतान के पूर्व यथानियम केन्द्र, राज्य व स्थानीय करों की स्त्रोत पर कटौती सम्बन्धी अनिवार्य विधिक प्रतिबन्धों के अनुपालन का ध्यान रखा जायेगा एवं निर्माण में गुणवत्ता के निर्धारित मानकों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा।

11– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, शासन द्वारा अवमुक्त की गई धनराशि के कम में धनराशि जनपद को अवमुक्त की जा रही है। उपरोक्त अंकित कार्यो में यदि कार्य/धनराशि की दैरावृत्ति हो रही हो तो उसकी सूचना अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्ति करें। अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

12– **शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष प्रथम किश्त की 50 प्रतिशत धनराशि अवमुक्त की गई है। जिसे अभिकरण द्वारा यथावत अवमुक्त कर दिया गया है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र, व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।**

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव
प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अपर निदेशक, सूडा।।
3. अधि0 अभियन्ता–सूडा
4. कम्प्यूटर सेल/लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक